

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा (राज0)
बईजलास – उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)

करण संख्या : 59/2008
रीख दायर : 17.03.2008

उनवान

1. भंवरसिंह पिता विजयसिंह राजपुत निवासी जस्सूजी का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़।
2. पारसकंवर पत्नि विजयसिंह राजपुत निवासी जस्सूजी का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़।

वादीगण

बनाम

1. नारायणसिंह पिता अमरसिंह राजपुत निवासी जस्सूजी का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़ मृतक जरिये विधीक वारिसान:-
 - 1.1 छम्मकंवर पत्नि नारायणसिंह राजपुत निवासी जस्सूजी का खेड़ा।
 - 1.2 बहादूरसिंह पुत्र नारायणसिंह राजपुत निवासी जस्सूजी का खेड़ा।
 - 1.3 हंसाकंवर पुत्री नारायणसिंह पत्नि शंकरसिंह राजपुत निवासी जस्सूजी का खेड़ा।
 - 1.4 धनसिंह पिता नारायणसिंह राजपुत निवासी जस्सूजी का खेड़ा।
 - 1.5 गुमानसिंह पिता नारायणसिंह राजपुत निवासी जस्सूजी का खेड़ा।
2. किसनसिंह पिता अमरसिंह राजपुत निवासी जस्सूजी का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़।
3. नरपतसिंह पिता समुन्द्रसिंह राजपुत निवासी जस्सूजी का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़।
4. राजूसिंह उर्फ राजेन्द्रसिंह पिता समुन्द्रसिंह राजपुत निवासी जस्सूजी का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़।
5. प्रकाश कंवर पुत्री समुन्द्रसिंह राजपुत निवासी जस्सूजी का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़।
6. भंवरकंवर पत्नि समुन्द्रसिंह राजपुत निवासी जस्सूजी का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़।
7. प्रतापसिंह पिता अमरसिंह राजपुत निवासी जस्सूजी का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़।
8. कैलाश कंवर पुत्री अमरसिंह राजपुत निवासी जस्सूजी का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़।
9. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ़।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

1. श्री गिरधारी लाल आचार्य (अधिवक्ता वादीगण)
2. श्री रमेश चन्द्र सारस्वत (अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 8)
3. प्रतिवादीगण 1 से 7 तक एकतरफा कार्यवाही।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53-88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

:: निर्णय ::

निर्णय दिनांक : 30.11.2021

वादपत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अंतर्गत धारा 53-88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाद नियमित सुनवाई इस न्यायालय द्वारा दिनांक 21.01.2013 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर ग्राम जस्सूजी का खेड़ा पटवार हल्का जस्सूजी का खेड़ा की सरहद में स्थित आराजी संख्या 121,155,220,269,270,271,272,355,356, 370,383,517,526,527,528,530,531,532,533,534,537,542,558,559,562,652/356,529 किता 27 रकबा 136 बीघा 04 बिस्वा भुमि में राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार, बाई मीट्स एण्ड वाउण्ड्स के आधार पर बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार करने हेतु प्राथमिक डिक्री के आदेश दिये जाकर तहसीलदार माण्डलगढ़ को बंटवाड़ा प्रस्ताव भिजवाने हेतु लिखा गया।

दिनांक 22.10.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 में समस्त पक्षकारान् द्वारा उपस्थित होकर सहमति से बंटवाड़ा करवाने हेतु निवेदन किया। पूर्व प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा आदेशानुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 10.11.2021 को जरिये पत्र क्रमांक भु.अ./2021/2770 दिनांक 03.11.2021 को विभाजन प्रस्ताव मय टेस जमाबंदी के प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।


अतः वाद पत्र वादी अंतर्गत धारा 53-88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 तहत सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि :-

नाम खातेदार	मौजा	आराजी संख्या	रकबा	लगा न
भंवरसिंह पिता विजयसिंह, घारसकंवर पत्नि विजयसिंह राजपुत सा. देह. खातेदार	जस्सूजी का खेड़ा	269	0.5585 हैक्टेयर	-
		270	0.0567 हैक्टेयर	-
		272	0.0728 हैक्टेयर	-
		220/1	0.1619 हैक्टेयर	-
		383/1	1.0038 हैक्टेयर	-
		531/1	0.8579 हैक्टेयर	-
		517/1	0.6395 हैक्टेयर	-
		534/1	0.1619 हैक्टेयर	-
		559/1	0.1214 हैक्टेयर	-
योग		किता 09	3.6344 हैक्टेयर	-
किसनसिंह पिता अमरसिंह राजपुत सा. देह. खातेदार रहन भारतीय स्टेट बैंक शाखा धामनिया।	जस्सूजी का खेड़ा	356/1	0.4047 हैक्टेयर	-
		355/1	0.1943 हैक्टेयर	-
		562/1	0.1214 हैक्टेयर	-
		529/1	0.4857 हैक्टेयर	-
		530	0.2995 हैक्टेयर	-
		559/2	0.0890 हैक्टेयर	-
		517/2	1.9590 हैक्टेयर	-
652/356/1	0.0809 हैक्टेयर	-		
योग		किता 09	3.6345 हैक्टेयर	-
3 नरपतसिंह, राजूसिंह उर्फ राजेन्द्रसिंह पिता समुन्द्रसिंह, प्रकाश कंवर पुत्री समुन्द्रसिंह, भंवरकंवर पत्नि समुन्द्रसिंह राजपुत सा. देह. खातेदार रहन भारतीय स्टेट बैंक शाखा धामनिया।	जस्सूजी का खेड़ा	355/2	0.1699 हैक्टेयर	-
		356/2	0.4128 हैक्टेयर	-
		562/2	0.1214 हैक्टेयर	-
		526	0.6556 हैक्टेयर	-
		559/3	0.0243 हैक्टेयर	-
		527	0.0162 हैक्टेयर	-
		529/2	0.2185 हैक्टेयर	-
		517/5	1.9185 हैक्टेयर	-
		652/356/2	0.0972 हैक्टेयर	-
योग		किता 09	3.6344 हैक्टेयर	-
4 नारायणसिंह पिता अमरसिंह राजपुत सा. देह. खातेदार रहन भारतीय स्टेट बैंक शाखा धामनिया।	जस्सूजी का खेड़ा	383/2	1.0034 हैक्टेयर	-
		534/2	0.4370 हैक्टेयर	-
		558	0.5099 हैक्टेयर	-
		517/3	1.6838 हैक्टेयर	-
योग		किता 04	3.6341 हैक्टेयर	-
5 प्रतापसिंह पिता अमरसिंह राजपुत सा. देह. खातेदार रहन भारतीय स्टेट बैंक शाखा धामनिया।	जस्सूजी का खेड़ा	370	0.8175 हैक्टेयर	-
		533	0.1376 हैक्टेयर	-
		537	0.5989 हैक्टेयर	-
		552	0.8256 हैक्टेयर	-
		531/2	0.1619 हैक्टेयर	-
		517/4	1.0997 हैक्टेयर	-
योग		किता 06	3.6412 हैक्टेयर	-
6 कैलाशकंवर पुत्री अमरसिंह राजपुत सा. देह. खातेदार	जस्सूजी का खेड़ा	121	0.1862 हैक्टेयर	-
		155	3.2860 हैक्टेयर	-
		220/2	0.1618 हैक्टेयर	-
		किता 06	3.6412 हैक्टेयर	-
योग		किता 06	0.0486 हैक्टेयर	-
7 भंवरसिंह पिता विजयसिंह,	जस्सूजी का	271		

पारसकंवर पत्नि विजयसिंह 1/6	खेड़ा	528	0.0809 हैक्टेयर	—
किसनसिंह पिता अमरसिंह 1/6		532	0.1052 हैक्टेयर	—
नरपतसिंह, राजूसिंह उर्फ राजेन्द्रसिंह पिता समुन्द्रसिंह, प्रकाशकंवर पुत्री समुन्द्रसिंह, भंवर कंवर पत्नि समुन्द्रसिंह 1/6				
नारायणसिंह पिता अमरसिंह 1/6				
प्रतापसिंह पिता अमरसिंह 1/6				
कैलाशकंवर पुत्री अमरसिंह 1/6				
राजपुत सा. देह. खातेदार रहन भारतीय स्टेट बैंक शाखा धामनिया हिस्सा भंवरसिंह, पारसकंवर व कैलाशकंवर के अलावा।				
योग		किता 03	0.2347 हैक्टेयर	—

उक्तानुसार खातेदारों के नाम पर भूमि पृथक-पृथक दर्ज किए जाने के आदेश देये जाते हैं। वकील वादी द्वारा नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेश करने पर डिक्री मुरतिब हो। त्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2021 को खुले न्यायालय में लिखवाया व सूनाया गया।


उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़